कवि सम्मेलन 25 को

जयपुर। शशि फाउंडेशन ट्रस्ट, म्यूजिक टेल्स सोसायटी एवं राष्ट्रीय कवि संगम के संयुक्त तत्वावधान में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मालवीय नगर स्थित पाथेय भवन में कवि सम्मेलन होगा।

आम-सूचना "महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री जगदीश लाल, निवासी- 81-ए, गोपी नगर, माचड़ा, जयपुर ने मेरी अभिभाष्या फर्म बुनियादी विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि0, जयपुर की योजना गोपी नगर, माचड़ा, जयपुर के भूखण्ड सं. 81-ए क्षेत्रफल 138.3 वर्गगज को स्वयं के नाम हस्तानान्तरण हेतु प्रस्तुत किया। साथ ही मूल आवंटी संतोष देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा भूखण्ड के मूल दस्तावेज की प्रतिलिपि व अन्य वारिसान का सहमति पत्र व शपथ पत्र समिति कार्यालय में प्रस्तुत किये तथा उक्त भूखण्ड को अपने नाम विधिक वारिस होने की हैसियत से हस्तानान्तरण हेतु समिति से कहा गया। यदि उक्त भूखण्ड के नाम हस्तानान्तरण के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था, समिति या संगठन को कोई आपत्ति हो तो वो समिति कार्यालय में या मेरे कार्यालय में उक्त सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि मे सम्पर्क करे, अन्यथा समिति द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तानान्तरण महेन्द्र कुमार के नाम जारी कर दिया जायेगा, बाद मियाद गुजरने के कोई उज्र मान्य नही होगा।
(हेमन्त कुमार पलोड़) एडवोकेट, मोबाईल नं. 9314511091

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि मेरी अभिभाष्या नीतू उज्जैनिया पत्नी श्री हेमन्त कुमार उज्जैनिया ने फ्लेट नम्बर-एफ-02, प्लाट नम्बर 30, स्कीम बृजलालपुरा, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर मे स्थित हैं जिसका बिल्डअप एरिया 980 वर्गफीट है को सुश्री भानुप्रिया बादर से दिनाक 17.07.2023 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद किया हुआ है तथा उक्त सम्पति को मेरी अभिभाष्या नीतू उज्जैनिया ने Aadhar Housing Finance Ltd (LOAN NO.56110000027) से ऋण प्राप्त कर बंधक रख रखा है व मेरी अभिभाष्या नीतू उज्जैनिया द्वारा उक्त सम्पति पर लिये गये ऋण राशि की अदायगी HDFC BANK LTD से ऋण प्राप्त कर कि जा रही है तथा उक्त सम्पति के समस्त मूल दस्तावेज नीतू उज्जैनिया द्वारा HDFC BANK LTD मे स्थित ऋण खाता संख्या 704361017 मे जमा करवायेगी तथा मेरी अभिभाष्या एच.डी.एफ. सी. बैंक लि. से ऋण प्राप्त कर उक्त सम्पति को बंधक रखना चाहती है। यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक आदि को उक्त सम्पति के बंधक से किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज हो तो 7 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता से लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सम्पर्क करे, बाद गुजरने मियाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नही होगी।
जयपुर (रामेश्वर सिंह राठौड़) एडवोकेट, मो.नं. 9829256466
दिनांक-21.1.2026 डांगरवाल हाउस, नाना जी का बाग, मोती डूंगरी रोड, फतेह टीबा मार्ग, जयपुर-302004

सार्वजनिक सूचना जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांक: जविप्रा / उपा. जोन-8 / 2026 / सी- 2108 दिनांक:- 21.01.2026
आवेदक छीतर, बाबूलाल, बृजेश एवं रामेश्वरी देवी द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के जोनल प्लान की 60 मीटर सैक्टर सड़क (अजमेर रोड से टूटी पुलिया डिग्गी रोड) में आ रही 90वी शुदा भूमि राजस्व ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धोलाई के खसरा नंबर 57 रकबा 0.20 हेक्ट. मे से 544.25 वर्गमीटर व खसरा नंबर 53/373 रकबा 0.04 हेक्ट. मे से 67.58 वर्गमीटर कुल किता 2 कुल रकबा 0.24 हेक्ट. मे से 611.83 वर्गमीटर भूमि के एवज में विकसित भूमि के भूखण्ड आवंटन किये जाने हेतु जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धोलाई के खसरा नंबर 57 रकबा 0.20 हेक्ट. मे से 544.25 वर्गमीटर व खसरा नंबर 53/373 रकबा 0.04 हेक्ट. मे से 67.58 वर्गमीटर कुल किता 2 कुल रकबा 0.24 हेक्ट. मे से 611.83 वर्गमीटर 90बी प्रकरण संख्या 24 / 2005 दिनांक 21.01.2008 को खातेदार रामलाल, रामेश्वर पिता स्योचन्दा हिस्सा 2/9, मंगल पुत्र भोलू, रामा बेवा भोलू हिस्सा 1/9, छीतर, बाबूलाल पुत्रान छोटू, पारादेवी पत्नी छोटू हिस्सा 1/4, बृजेश पुत्र हनुमान सहाय रामेश्वरी पत्नी हनुमान सहाय हिस्सा 1/12, नारायण पुत्र श्रवण हिस्सा 1/3 के नाम से हो चुकी है। उक्त खातेदारों मे से खातेदार पारादेवी पत्नी छोटू की मृत्यु होने से उनका हिस्सा उनके वारिस छीतर, बाबूलाल पुत्र छोटू, बृजेश पुत्र हनुमान सहाय रामेश्वरी पत्नी हनुमान सहाय के द्वारा आवेदन किया गया है।अतः हितधारियों / संबंधितजनों को जरिये सार्वजनिक सूचना सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत कोई न्यायिक प्रकरण / स्थगन / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो जविप्रा में उपायुक्त जोन-8 कार्यालय में विज्ञप्ति प्रकाशन से 07 कार्य दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
उपायुक्त जोन-08. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/955
चूंकि प्रार्थी श्री RAMKESH PRAJAPAT, JAGAR, TEHSIL HINDAUN CITY, KARAULI, RAJASTHAN ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास ओम उमा स्वामी सेवा संस्था KANOTA, NAYALA ROAD, BASSI, JAIPUR, RAJASTHAN के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 18.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 26.02.2026
मोहर अदालत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/1180
चूंकि प्रार्थी श्री कैलाशी मीना बी-8, जे.पी. कॉलोनी, टोंक फाटक, टोंक रोड, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास ग्रामीण सहारा विकास संस्था, बी-8, जे.पी. कॉलोनी, टोंक फाटक, टोक रोड, जयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 15.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 25.03.2026
मोहर अदालत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

कार्यालय उपायुक्त सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर
क्रमांक-एफ-18( )सि.ला.जो./उपा/ननिज/2025/2153
दिनांक-16/01/2026
अनापत्ति आमंत्रण सूचना
भूखण्ड नं. 106 बडोदिया बस्ती जयपुर क्षेत्रफल 110.00 व.ग.का उपहार श्री नितेश यादव पुत्र श्री मोहनलाल यादव को किया गया। वर्तमान में श्री नितेश यादव पुत्र श्री मोहनलाल यादव द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण चाहने हेतु आवेदन किया है। किसी संस्था, फर्म, कम्पनी व किसी भी व्यक्ति को इस नाम हस्तान्तरण बाबत में आपत्ति के प्रकाशन तिथी से 07 दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि व्यक्ति, संस्था, फर्म को कोई आक्षेप नहीं है। और मामले का तदनुसार निपटारा किया जाएगा।
उपायुक्त, सिविल लाईन जोन, नगर निगम, जयपुर

नम्बर मिलाइए 9587884433
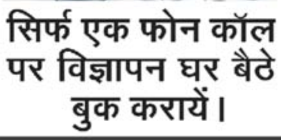
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान डिस्कॉम्स को मिला "गोल्ड अवॉर्ड"

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई

राजस्थान डिस्कॉम्स की चेयरमैन आरती डोगरा ने पीएम कुसुम योजना के कम्पोनेन्ट-सी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्राप्त अवार्ड बुधवार शाम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेंट किया।

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र में लिए गए फैसलों से राजस्थान इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली में आयोजित हुए ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन के वार्षिक सम्मान समारोह में राजस्थान डिस्कॉम्स को केन्द्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने पीएम कुसुम योजना के कम्पोनेन्ट-सी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड अवॉर्ड से सम्मानित किया। राजस्थान डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोगरा ने बुधवार शाम यह अवार्ड मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेंट किया।

मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजस्थान डिस्कॉम्स के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों को सौर ऊर्जा और सोलर पंप से सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर उनकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। इस उपलब्धि से वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने के हमारे संकल्प को और मजबूती मिलेगी।

ज्ञात रहे कि देश के कृषि क्षेत्र को सौर ऊर्जा से जोड़ने की दिशा में पीएम-कुसुम योजना भारत सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विगत दो वर्ष में राजस्थान इस योजना में अग्रणी बनकर उभरा है। राज्य में कम्पोनेन्ट-ए एवं कम्पोनेन्ट-सी में 2877 मेगावॉट के कुल 1307 विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

डिस्कॉम्स चेयरमैन ने बताया कि कुसुम कम्पोनेन्ट-सी के अन्तर्गत फीडर लेवल सोलराइजेशन में भी राजस्थान डिस्कॉम्स देश में अग्रणी है। इसके अन्तर्गत प्रदेश में 2333 मेगावॉट क्षमता के 899 प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं।

जिनसे 1 लाख़ 41 हजार 589 किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली मिल रही है इस वर्ष के अंत तक कम्पोनेन्ट-सी में 5018 मेगावॉट के 1997 प्लांट स्थापित कराने का लक्ष्य है जिससे 3 लाख 62 हजार 197 कृषकों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जा सकेगा।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस उपलब्धि के लिए जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण प्रबंधन एवं डिस्कॉम्स के सभी कार्मिकों को बधाई दी है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राजस्थान एनर्जी सरप्लस स्टेट बनने की ओर अग्रसर है। यह सम्मान भी इसी दिशा में एक कड़ी है।

पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर दायर याचिकाएं खारिज

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन और मुख्यालय बदलने से जुड़े मामले में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने यह आदेश मुन्नालाल सहित करीब पांच दर्जन याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए।

OFFICE OF THE GRAMPANCHAYAT RARAH PS KUMHER
DISTT. DEEG
S. No. 60-67 Date : 16-01-2026
Notice inviting Bid
Bids for work order of civil works are invited from interested bidders up to 23-01-2026 other particular of the bid may be visited on the procurement protal SPPP and E-Proc of the state Rajasthan.
NIB No. : ZBH2526A0646
UBN No. : ZBH252FWSRC01043
Village Development Officer G.P. Rarah — Administrator G.P. Rarah

कृषि महाविद्यालय, बसेड़ी, धौलपुर
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
क्रमांक :- प.( )/भण्डार/कृमब/2025/1418 दिनांक :- 16/01/2026
खुली निविदा सूचना
कृषि महाविद्यालय बसेडी में विभिन्न श्रेणी के प्रयोगशाला उपकरण आदि की आपूर्ति हेतु खुली निविदा प्रपत्र वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है एवं sppp.rajasthan.gov.in and www.sknau.ac.in पर देखा जा सकता है। पूर्ण रूप से भरी हुई निविदाए दिनांक 27.01.2026 समय सुबह 11:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है प्राप्त निविदाए दिनांक 27.01.2026 को सुबह 11.30 बजे टैण्डर समिति द्वारा खोली जावेगी।
UBN No.: SKN2526GSOB00382
NIB Code: SKN2526A0349
राज.संवाद/सी/25/18122 अधिष्ठाता

MUNICIPAL CORPORATION KOTA (RAJ.)
Add :- C.A.D. Circle, Dusshehra Ground, kota
No. :NNK/ELECT/2026/271-278 Date : 13-01-2026
Notice Inviting Bid
Bid for "AMC of led street lights installed at various wards of Municipal Corporation Kota Zone- 3,4 with line maintenance and CCMS pannels complete in all respect for Two years." are invited from interested bidders from 15-01-2026 to 04-02-2026 Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in of the state and www.kotamc.org. department website.
Estimated Amount : 366.07 Lac
NIB code : DLB2526B0269
UBN : DLB2526GLOB30372
Raj.Samwad/C/25/18087 Executive Engineer Municipal Corporation, Kota

कार्यालय नगर निगम जयपुर
मुरलीपुरा स्कीम, सब्जी मण्डी, जयपुर।
क्रमांक :- जसअ / 2025 / 433 दिनांक: 16.01.2026
ई- निविदा सूचना संख्या 255-257, 261/2025-26
केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों में पंजीकृत "एए" व "ए" श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर निगम जयपुर के उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से विभिन्न विकास कार्यों की निविदा आमंत्रित की जाती हैं। कार्यों की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण राज्य सरकार के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.raj.nic.in तथा नगर निगम जयपुर की Web Site www.jaipurmc.org पर देखी व Download की जा सकती है तथा निर्धारित अवधि तक ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकेगीं। SPPP portal UBN No. JMC2526WSOB02573 to JMC2526WSOB02575, JMC2526WSOB02556
अधिशाषी अभियन्ता मुरलीपुरा जोन नगर निगम जयपुर।
राज.संवाद / सी / 25 / 18080

स्मैक बेचने वाला तस्कर गिरफ्तार

जयपुर। कमिश्नरेट की स्पेशल जिला स्पेशल टीम (क्राइम ब्रांच सीएसटी) ने करधनी थाना इलाके में अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पांच सौ छह ग्राम स्मैक बरामद की है।

खोया पाया

मेरे प्लॉट नंबर ए-56 स्कीम राहिणी एनक्लेव जयपुर का कब्जा पत्र कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें। मुकेश सांखला 80945 98043

मेरे प्लॉट नंबर एच-141, स्कीम देव विहार जयपुर का कब्जा पत्र कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें। भगवती देवी 8824933511

मेरे प्लॉट नंबर ए-115 स्कीम केदार विहार जयपुर का कब्जा पत्र कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें। कौशल्या देवी फतेहपुरिया 9828122565

मेरा प्लाट नं. बी-155 योजना स्वप्न लोक सीकर रोड जयपुर के आवंटन पत्र व कब्जा पत्र कहीं गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। मो.नं. 9672687298

मेरे भूखण्ड सं-270 सेन कॉलोनी भवन निर्माण सहकारी समिति की योजना शिव विहार रोड नं-5 मुरलीपुरा जयपुर का सहकारी समिति से जारी मूल सोसाइटी रसीद कही गुम हो गयी है सूचित करे-अमित दधीच मो.-9829810499

वसुंधरा विहार विकास समिति दयालपुरा सांगानेर रजि. क्रमांक 243, हमारी संस्था का विधान नियमावली पत्र खो गया है। जिस किसी को भी मिले कृपया सुचित करें-8104448004

नाम परिवर्तन

मेरा नाम घोषाल अंतरा अरूण था। अब मैंने बदलकर अंतरा घोषाल पुत्री अरूण घोषाल रख लिया है। भविष्य में मुझे अंतरा घोषाल के नाम से जाना जावें। पता-19 सूर्य निवास वन विहार कॉलोनी टोंक रोड, जयपुर

मैं, सलीमा पुत्री श्री शाहबाज लीलगर यह कि मेरे पासपोर्ट में मेरी माता का नाम Anjum Lilgar दर्ज है, जो गलत है। मेरी माता का सही नाम Anjum Bano है। भविष्य में मेरी माता का नाम Anjum Bano के नाम से जाना पहचाना जावे। पता 2क-1 हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर जयपुर।

मैंने अपना नाम Chauhan Monica Jeetendra से बदलकर Monica Chouhan रख लिया है। भविष्य में मुझे Monica Chouhan के नाम से जाना जावे। निवास 43, राजीव विहार, मानसरोवर, जयपुर

मैंने अपना नाम पन्नालाल मोहनलाल मेवाड़ा से बदलकर पन्नालाल केशा कलाल रख लिया हैं भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए। निवासी - आसन पोस्ट बांसा तहसील गढ़बोर जिला राजसमंद राजस्थान-313333

मैंने अपने पुत्र का नाम दिगपाल सिंह के स्थान पर दिगपाल सिंह सिसोदिया रख लिया है भविष्य में इसे दिगपाल सिंह सिसोदिया पुत्र दयाल सिंह सिसोदिया के नाम से जाना जावे।

I have changed my name from Naresh Mahadev Punjabi to Naresh Punjabi. There fore i will be known or distinguished in public by new name of Naresh Punjabi, A 322, Vaishali Nagar, Near Tagore Public School, Jaipur, Rajasthan, 302021.

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 23 जनवरी को होगा मेगा पीटीएम का आयोजन

शिक्षा, संवाद और सुविधाओं के इस संगम में लाखों विद्यार्थियों को मिलेगा सीधा लाभ

जयपुर, (कासं)। राजस्थान की आत्मा उसके इतिहास में बसती है पर उसका भविष्य उसकी कक्षाओं में आकार लेता है। वीरता और विरासत की इस धरती पर आज शिक्षा नवचेतना, नवाचार और नैतिक मूल्यों की लौ बनकर प्रज्वलित हो रही है। इसी सतत प्रयास की कडी में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 23 जनवरी को विश्वविद्यालय कॉमर्स कॉलेज, जयपुर में मेगा पेरेंट्स-टीचर्स मीटिंग (मेगा पीटीएम) का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। यह जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने दी है।

उन्होंने बताया कि बसंत पंचमी पर आयोजित मेगा पीटीएम का शुभारंभ माँ सरस्वती के विधि-विधान से पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया जाएगा। कार्यक्रम में 'वंदे मातरम्' गीत का सामूहिक गायन किया जाएगा, जो विद्यार्थियों और अभिभावकों में राष्ट्रप्रेम, एकता और कर्तव्यबोध की भावना को और अधिक प्रबल करेगा। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। राज्य सरकार का मानना है कि शिक्षा केवल पाठ्यक्रम का संकलन नहीं, बल्कि संवाद की संवेदना और सहभागिता की संस्कृति है। मेगा पीटीएम उसी दर्शन का सजीव उदाहरण है, जहाँ करीब 65 लाख अभिभावक एक साथ इस अभियान से जुड़ने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से सीधा संवाद कर शिक्षा की जमीनी वास्तविकताओं, अपेक्षाओं और समाधान पर विचार-विमर्श करेंगे।

- विश्वविद्यालय कॉमर्स कॉलेज जयपुर में सजेगा शिक्षा का उत्सव

एक दिन में मिलेंगी कई सौगात

यह आयोजन विद्यार्थियों के लिए एक दिन में कई ऐतिहासिक सौगातें लेकर आ रहा है। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत लगभग साढ़े चार लाख विद्यार्थियों को लगभग 53 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी, जिससे उनकी विद्यालय तक पहुंच और अधिक सुगम होगी।संपूर्ण राज्य में लगभग 80 हजार बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाएगी। वहीं 3 लाख से अधिक बालिकाओं को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत डीबीटी लाभ मिलेगा।जिसके तहत बालिका शिक्षा, निरंतरता और आत्मनिर्भरता को विशेष बल दिया जाएगा

इस अवसर पर पीईईओ/यूसीईईओ स्तर के विद्यालयों में निपुण मेले आयोजित किए जाएंगे, जहाँ बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक दक्षताओं से जुडी गतिविधियों, शिक्षण मॉडलों और नवाचारों का प्रदर्शन होगा। यह मेला उस सोच का प्रतीक है जहाँ शिक्षा डर नहीं, जिज्ञासा और बोझ नहीं, आनंद बनती है।

सूचना
मैं श्रीमती संतोष देवी पत्नि स्व.श्री शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी भूतावा तहसील मकराना जिला डीडवाना कुचामन (पूर्व जिला नागौर) राज्य राजस्थान की हूँ और श शपथ बयान करती हूँ कि-
1. यह कि मैं स्व.शंकरलाल की विवाहिता पत्नि हूँ तथा स्व. शंकरलाल के स्वर्गवास के पश्चात मैंने पुर्नविवाह नहीं किया है तथा मेरे अलावा स्व.शंकरलाल जी की अन्य कोई जीवित पत्नि नहीं है।
ह.शपथग्रहिता के

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
नाम न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश स्थान (दक्षिण) जयपुर महानगर प्रथम
संतरा शर्मा उर्फ संतोष वगै. विरूद्ध राजस्थान सरकार
वाद बाबत दीवानी
वाद सं. 233/25 सन् 2025
नाम श्रीचंद्रभान शर्मा पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति हिन्दू स्थान मकान न. 45/206 रजत पथ, मानसरोवर जयपुर राजस्थान
वादीगण ने आपके विरूद्ध ... के लिए वाद पंजीयत किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 27 माह 02 सन् 2026 को दिन में 10.30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता हैं कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हैं। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजो को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
यह आज तारीख 17 माह 01 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया।
मोहर अदालत प्रस्तुतकार-सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दक्षिण जयपुर महानगर प्रथम

कार्यालय नगर निगम जयपुर
(चौगान स्टेडियम, गणगौरी बाजार, जयपुर)
क्रमांक :- जसअ / 2025 / 446 दिनांक: 21.01.2026
ई-निविदा सूचना संख्या 153 से 156/2025-26
केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत "AA","A" श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर निगम, जयपुर के पंजीकृत निविदाताओं से अधिशाषी अभियन्ता हवामहल-आमेर जोन से संबंधित विकास कार्यो हेतु निविदाए आमंत्रित की जाती है। कार्यो की अनुमानित लागत टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम, जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmc.org एवं व राजस्थान सरकार के पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in तथा eproc.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है। उक्त निविदाओं को (sppp.rajasthan.gov.in) पोर्टल पर अपलोड करवा दिया गया है।
JMC2526WSOB02536 to JMC2526WSOB02539
अधिशाषी अभियन्ता हवामहल-आमेर जोन नगर निगम, जयपुर
राज.संवाद / सी / 25 / 18191

प्रारूप-10
कार्यालय नगर परिषद टोंक
क्रमांक-13183 दिनांक-19/1/26
लोक सूचना
खातेदार श्रीमती कविता चौहान पत्नि श्री रवि चौहान निवासी शिप्रापथ वार्ड नं. 73 मानसरोवर जयपुर, व राजेश कुमार चन्देल पुत्र श्री प्रहलाद कुमार चन्देल निवासी कलमण्डा तह0 मालपुरा जिला टोंक, जिला टोंक राज0 ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का कृषि से गैर-कृषिक में 90-ए एकल पट्टा नियमन उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अधिभृति अधिकारो के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल
टोंक	ग्राम खानपुरा	219/20	0.7040 है0 में से 8419.84 वर्गमीटर

इसलिये इसके द्वारा समस्त सम्बंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन के भीतर भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्तनियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा कियाजायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 19.01-2026 को जारी की गयी।
आयुक्त नगर परिषद टोंक

निर्माण कार्यों की थर्ड पार्टी जांच होगी, गुणवत्ता से समझौता स्वीकार्य नहीं : खर्रा

यू.डी.एच. मंत्री ने राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को चेताया

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। नगरीय विकास एवं आवासन (यूडीएच) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं, संकल्प पत्र एवं बजट घोषणा 2025-26 की कार्यप्रगति की गहन समीक्षा की।

बैठक में मंत्री खर्रा ने भू-उपयोग, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, फील्ड स्तर पर निरीक्षण तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी निर्माण कार्यों की थर्ड पार्टी जांच अनिवार्य होगी और निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यूडीएच मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में चलाई जा रही योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से आमजन तक पहुंचे, इसके लिए जमीनी स्तर पर सतत निगरानी एवं नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं और इन पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होगा।

- मानसून के दौरान टूटी सड़कों में 8.92 लाख वर्ग मीटर सड़कों की मरम्मत करवा चुके : देबाशीष पृष्टि
- नगरीय निकायों के डंपिंग साइट्स पर पड़े लगभग 65 लाख घन मीटर पुराने कचरे के निस्तारण पर फोकस

यूडीएच प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि ने बताया कि वर्षाकाल के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों में से कुल 8 लाख 92 हजार 83 वर्गमीटर सड़कों की मरम्मत अब तक की जा चुकी है। स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि ग्रीन लंग्स के विकास के लिए 16 निकायों को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त कर जनसहयोग एवं सीएसआर के माध्यम से कार्य किए जाएंगे, जिसमे से उदयपुर एवं भीलवाड़ा में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए साउंड बैरियर्स लगाए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसकी अनुपालना में भरतपुर, अलवर और उदयपुर से प्रस्ताव प्राप्त किए जा चुके है।

नगरीय निकायों के डंपिंग साइट्स पर पड़े लगभग 65 लाख घन मीटर पुराने कचरे का निस्तारण करवाया जाएगा, जिसके लिए प्रस्ताव तैयार कर निविदा आमंत्रित की जा रही है। उल्लेखनीय है की स्वायत्त शासन विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अबतक 88 लाख घन मीटर में से 83 लाख घन मीटर पुराने कचरे का निस्तारण किया जा चुका है।

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत जेएम (डी) मुकाम जयपुर जिला
दावा बाबत सी एस
मुकदमा नं. 78 सन् 18
बनाम - 1. मुसम्मी देवी 2. रामावतार 3. किशनवतार 4. राजेश कुमार वल्द स्व. भंवरलाल कौम हिन्दू साकिन 29/8 सिंधु नगर नाहरी का नाका जयपुर
चूंकि ने इस अदालत में तारीख - माह- सन् 20 को 1. हाभानन्द पेसवानी बनाम 2. भंवरलाल दायर की जो कि बाद में फोत हो गया और चूंकि मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतबफ्फी भंवरलाल शर्मा मजदूर के कायम मुकाम जायज और इस्तदुआ की है बजाय उसके आप 1. गोरी देवी 2. रामावतार 3. किशनवतार 4. राजेश कुमार
लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाबदेही 1. गोरी देवी 2. रामावतार 3. किशनवतार 4. राजेश कुमार आपको तारीख 31 माह 1 सन 2026 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिए तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में सुना व फैसला किया जावेगा।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 12 सन् 25 को जारी किया गया।
मोहर अदालत शरिस्तेदार सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर जिला जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/596
चूंकि प्रार्थी श्री SHIVJI LAL CHOUDHARY SAROLI MODE DEOLI TEH DEOLI DIST TONK-304802 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास शिव पब्लिक शिक्षा समिति सारोली मोड, देवली SAROLI MODE DEOLI TEH DEOLI DIST TONK-304802 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 11.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 02.04.2026
मोहर अदालत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर

कार्यालय नगर निगम जयपुर
(सेक्टर 4, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के पास, जवाहर नगर, जयपुर)
क्रमांक :- जसअ / 2025 / 444 दिनांक: 19.01.2026
ई-निविदा सूचना संख्या 122 से 134/2025-26 तक
केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत "AA" "A" श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर निगम जयपुर के पंजीकृत निविदादाताओं से अधिशाषी अभियन्ता आदर्श नगर जोन से सम्बन्धित विकास कार्यो हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है। कार्यो की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmc.org.com व राजस्थान सरकार के पोर्टल http://sppp.raj.nic.in तथा www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जाकर पोर्टल www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकती है। जिसका यूबीएन नम्बर JMC2526WSOB02576, 02577, 02578, 02579, 02580, 02581, 02582, 02583, 02586, 02587, 02588, 02589, 02590 है।
नोट : अवकाश घोषित होने पर कार्यालय खुलने की आगामी तारीख मानी जाये।
अधिशाषी अभियन्ता (विद्याधर जोन) नगर निगम जयपुर
राज.संवाद / सी / 25 / 18079

कार्यालय ग्राम पंचायत, हांसपुर
पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर, जिला-सीकर (राज.)
क्रमांक-2026/11 दिनांक-20.01.2026
आवासीय पट्टों की आपत्ति सूचना आमंत्रण
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में अवस्थित निम्न आवेदकों को पट्टे जारी करने का अस्थायी निर्णय लिया गया है। अतः किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस में आपत्तिमय दस्तावेज के कार्यालय समय में प्रस्तुत करें। मियाद अवधि बीत जाने के पश्चात आपत्तियां स्वीकार नहीं की जावेगी तथा ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी कर दिया जावेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम मय पिता/पति	जाति	मौहल्ला ग्राम	चारों दिशाओं का विवरण उत्तर दिशा	दक्षिण दिशा	पूर्व दिशा	पश्चिम दिशा	वि. वि.
1	मूलचन्द पुत्र श्री कानाराम	बलाई	बलाई यान हाँसपुर	श्रवण कुमार का मकान	बंशीधर बलाई का मकान	आम रास्ता	मालाराम जादुगर का मकान	
2	श्रवण कुमार पुत्र श्री कानाराम	बलाई	बलाई यान हाँसपुर	आम रास्ता	मूलचन्द बलाई का मकान	आम रास्ता	मालाराम जादुगर का मकान	

बिमला देवी शर्मा-प्रशासक ग्राम पंचायत हांसपुर पं.स.श्रीमाधोपुर (सीकर) — ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत हांसपुर पं.स.श्रीमाधोपुर (सीकर)

कार्यालय नगर निगम, जयपुर
(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर-15)
(राजस्व-द्वितीय प्रकोष्ठ)
क्रमांकः एफ-6 () उपा.राज.-द्वितीय (सा.प्र.) / ननिज./2026/675 दिनांक-20/01/26
सार्वजनिक सूचना
मूल भूखण्ड संख्या सी-23, मोती डूंगरी योजना, जयपुर का अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड, जयपुर द्वारा श्री नेमी चन्द माहेश्वरी के नाम से क्षेत्रफल 666.6 वर्गगज भूमि का आवंटन किया गया था। दिनांक 02.08.1979 को नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा भूखण्ड संख्या सी-23, मोती डूंगरी योजना, जयपुर क्षेत्रफल 666.6 वर्गगज श्री नेमी चन्द माहेश्वरी पुत्र श्री गोपी कृष्ण माहेश्वरी के नाम से पट्टा जारी किया गया। दिनांक 20.05.1997 को श्री नेमीचन्द माहेश्वरी पुत्र स्व0 श्री गोपी किशन माहेश्वरी द्वारा भूखण्ड सी-23, भगत सिंह मार्ग, तिलक नगर, जयपुर की वसीयत श्री आशुलाल लोया के छोटे पुत्र श्री सुनील लोया (नाबालिग) के पक्ष में निष्पादित की गई। उक्त वसीयत के संबंध में श्री सत्यनारायण तापडिया पुत्र श्री रामदयाल तापडिया द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना आदर्श नगर, जयपुर में दिनांक 31.01.2003 को मुकदमा दर्ज करवाया गया। जिसके संबंध में दिनांक 20.12.2016 को न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट क्रं. सं. 18, जयपुर महानगर द्वारा निर्णय पारित किया गया। दिनांक 04.06.1997 को नेमीचन्द माहेश्वरी पुत्र श्री गोपी किशन नादड की मृत्यु हो गई। दिनांक 06.08.2001 को आयोजना प्रकोष्ठ, जयपुर नगर निगम, जयपुर द्वारा भूखण्ड संख्या सी-23, तिलक नगर, जयपुर क्षेत्रफल 666.6 वर्गगज श्री सुनील लोहिया पुत्र श्री आसू लाल लोहिया के नाम से नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड पट्टे की प्रति, अपंजिकृत वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र, न्यायालय निर्णय की प्रति, नाम हस्तान्तरण पत्र, अण्डरटेकिंग एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का नगर निगम, जयपुर द्वारा श्री सुनील लोहिया पुत्र श्री आशु लाल लोहिया के पक्ष में क्षेत्रफल 666.6 वर्गगज (557.360 वर्गमीटर) का लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी किया जाना है। इस लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, राजस्व-द्वितीय) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त (राजस्व-द्वितीय) नगर निगम, जयपुर